LL.B.6.Sem.

C.P.C.
LIMITATION ACT,1963.

By.Banshlochan Prasad.

Scanned with CamScanner

## मियाद-विधि का अर्थ
## (Meaning of the law of limitation)

मियाद-विधि, कोई उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायालय में वाद चलाने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करने वाली विधि है। इस निश्चित समय के बीत जाने पर वह वादी को न्यायिक कार्यवाही के द्वारा उपचार प्राप्त करने से रोक देती है और प्रतिवादी को ऐसे किसी उपचार का उत्तर देने की जवाबदेही से मुक्त कर देती है।

न्यायाधीश मुखर्जी ने **मंजूरी बीबी बनाम अकील अहमद,** 19 IC 793 at page 813 (Calcutta) के वाद में यह स्वीकार किया कि मियाद विधि मूलत: प्रक्रियात्मक विधि है। यह मात्र उपचार बन्द कर देती है। यह कोई भी अधिकार न तो पैदा करती है और न ही समाप्त करती है।

इस प्रकार मियाद-विधि कोई उपचार प्राप्त करने के लिए न्यायिक कार्यवाही चलाने के लिए जो निश्चित समय निर्धारित करती है, उसे हम मियाद की अवधि (मर्यादाकाल) कहते हैं। मियाद की यह अवधि किसी एक निश्चित घटना से प्रारम्भ होती है। इसी निर्धारित अवधि के अन्दर वाद चलाया जाना चाहिए, नहीं तो उसके बीत जाने पर प्रतिवादी को मियाद के अवरोध का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार वादी का उपचार नष्ट हो जायेगा।

मियाद-विधि न तो प्रतिवादी के पक्ष में ऐसा कोई अधिकार स्थापित करती है, जो पहले कभी प्राप्त नहीं था और न ही वादी को पहले से प्राप्त किसी अधिकार को ही नष्ट करती है। वह केवल मियाद का यह निषेधात्मक अवरोध खड़ा कर देती है कि निर्धारित अवधि के बाद किसी अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए कोई वाद नहीं चलाया जा सकेगा। किन्तु इस अवरोध का संरक्षण प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रतिवादी को ही सावधान रहना चाहिए और उसे, वाद की सुनवाई के पहले, प्रथम अवसर पर ही, अपनी सफाई में, इस अवरोध की दलील पेश कर देना चाहिए।

वाद चलाने की असीमित अवधि को खुला छोड़ देने पर कोई भी अधिकार स्थिर और सुरक्षित नहीं रह सकेगा और समाज में अशान्ति, असुरक्षा और अव्यवस्था पैदा हो सकती है, तथा न्याय भी अस्थिर और असुरक्षित रह सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि मियाद के कानून सुस्थिरता के कानून (staututes of repose) हैं। वे हकों और अधिकारों को स्थापित करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और न्याय को सुरक्षित करते हैं।

**दीवान सिंह बनाम गोपाल सिंह,** AIR 1963 Cal. 302 के वाद में यह निर्धारित किया गया कि मियाद विधि लोकनीति एवं लोक व्यवस्था के लिए आवश्यक है यद्यपि कि यह विधि व्यक्ति को परेशानी में डाल देती है अर्थात् व्यक्ति के उपचार को बन्द कर देती है।

मियाद की अवधि को असीमित छोड़ देने पर वाद प्रतिवाद अमर (चिरजीवी) हो जाते हैं, जबकि स्वयं वाद प्रतिवाद करने वाले मनुष्य मरणशील हैं। इसलिए यह व्यापक

Scanned with CamScanner

जन-हित में है कि मियाद-विधि के द्वारा वाद प्रतिवाद करने की अवधि को एक निश्चित समय के साथ निर्धारित कर दिया गया है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में मियाद-विधि सुस्थिरता, शान्ति और न्याय का कानून है।

## मियाद-विधि की प्रकृति या विशेषताएँ
## (Nature of characteristics of the law of limitation)

मियाद विधि की प्रकृति का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन भली-भाँति किया जा सकता है-

**1. मियाद-विधि कठोर और अनम्य होती है** (The law of limitation is strict and inflexible):- मर्यादा अधिनियम के प्रावधान किसी व्यक्ति के अपने अधिकार के सम्बन्ध में कानूनी उपचार में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए उनकी व्याख्या कठोरता से की जाती है, किन्तु किसी उपचार को अवरुद्ध करने के लिए स्पष्ट व्यवस्था न होने पर, उन्हें विवक्षा (by implication) द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वादों या कानूनी कार्यवाहियों के लिए मियाद-काल सीमित करने वाले कानून के प्रावधानों की व्याख्या करने में साम्यपूर्ण विचारों (equitable considerations) का कोई स्थान नहीं है, उनका कठोर व्याकरणीय अर्थ (grammatical meaning) ही किया जाना चाहिए।

**2. मियाद की संविधियाँ सुस्थिरता, शान्ति और न्याय की संविधियाँ हैं** (Statutes of limitation are statutes of repose, peace and justice):- मियाद-विधि को सुस्थिरता की संविधि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह ऐसी माँगों को, जो समय से परे (stale demands) हैं, समाप्त करके हक के प्रश्न को शान्त कर देती है। उसे शांति की संविधि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए शान्ति प्राप्त कराती है और उसे न्याय की संविधि इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वह उस समय न्याय प्राप्त कराती है जब समय बीतने के साथ-साथ अधिकारों के समर्थन में साक्ष्य नष्ट हो चुके होते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है चूँकि मियाद की संविधियाँ स्पष्ट रूप से सुस्थिरता की संविधियाँ कही जाती हैं। इसलिए मियाद-काल (Period of limitation) में यदि बाद में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो ऐसे परिवर्तन से ऐसी किसी उन्मुक्ति (immunity) को नहीं छीना जा सकता है, जो किसी पूर्व-विधि के अधीन ऐसे परिवर्तन पहले ही प्राप्त की जा चुकी हो।

**स्टोरी के अनुसार:-** सुस्थिरता की संविधि के रूप में मियाद-विधि हक को शान्त करती है, कपट का दमन करती है और संव्यवहार की संदिग्धता तथा अस्पष्टता या प्राचीनता से उत्पन्न सबूतों की कमी को पूरा करती है। वह इस उपधारणा (presumption) पर आगे बढ़ती है कि जब कभी माँगों के लिए निर्धारित मियाद के अन्दर दावा नहीं किया जाता है, तब वे माँगे समाप्त हो जाती हैं। वह परिश्रम को, कुछ हद तक, उसे अधिकार के बराबर बनाकर, उत्तेजित करती है, और बीते समय के उन सभी संग्रहों को जिनकी व्याख्या नहीं की जाती है और जो अब समय बीत जाने के कारण व्याख्या-योग्य नहीं हैं, एक सामान्य पात्र में दफना कर मुकदमेबाजी को निरुत्साहित करती है।

**जान बोएट के अनुसार,** वाद-प्रतिवाद (Controversies) समय का एक नियत अवधि तक ही सीमित होते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि वे अमर (immortal) हो जाएँ, जबकि मनुष्य स्वयं नश्वर (mortal) होते हैं।

Scanned with CamScanner

लक्ष्मी बनाम रन्जीत, 20 W R 375 PC के वाद में प्रिवी कौन्सिल ने कहा है, 'समुदाय को शान्ति और सुस्थिरता प्राप्त कराने के लिए यह जरूरी है कि सम्पत्ति के हक और सामान्यत: अधिकारों के मामले को निरन्तर अनिश्चितता, सन्देह, द्विविधा की हालत में नहीं होना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया का निरन्तर भय और अनिश्चितता की भावना 'डेमोक्लीज की तलवार' की तरह लटकती रहती है और राज्य के विकास तथा समृद्धि को अवरुद्ध कर देती है और परिश्रम को ठप्प कर देती है, जबकि उसके फलों का उपभोग अधिनियम का उद्देश्य दीर्घकालिक कब्जे (long possession) को शान्त करना है।

**3. कानून उनकी सहायता करता है जो चौकन्ना** (vigilant) **रहते हैं, निष्क्रिय** (dorment) **लोगों की सहायता नहीं करता है** (Vigilantibus non dormientius jura Subveniunt):- मर्यादा विधि दो विस्तृत विचारों पर आधारित है- (1) पहलो तो यह कि, यह उपधारणा की जाती है कि जिस अधिकार का प्रयोग एक लम्बे समय तक नहीं किया गया है, वह अब अस्तित्व में नहीं है और जो व्यक्ति एक लम्बे समय से कब्जे में नहीं है वह उसका मालिक होना उपधारित नहीं किया जाता है। (2) दूसरा यह कि, यह आवश्यक है कि सम्पत्ति के हक और सामान्यत: अधिकारों के मामलों को निरन्तर अनिश्चितता, सन्देह और द्विविधा की दशा में नहीं रहना चाहिए। राज्य का हित इस बात में है कि मुकदमेबाजी का अन्त होना चाहिए और इसी कारण से मर्यादा की संविधियों को शान्ति और सुस्थिरता की संविधियाँ कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से यह भलीभाँति कहा जा सकता है कि मर्यादा विधि हक को शान्त करने, कपट को दबाने और प्राचीनता या अस्पष्टता से उत्पन्न सबूत की कमी को पूरा करने की महान नीति पर आधारित है।

यह अक्सर कहा जाता है कि कानून उन लोगों की सहायता करता है, जो चौकन्ना (जागरूक) रहते हैं, वह निष्क्रिय (सुप्त या अचेतन) लोगों की सहायता नहीं करता है (सामण्ड)। मर्यादा विधि ऐसे असावधान मुकदमेबाजों को जाल में फंसाने के लिए नहीं है, जो ईमानदारी और युक्तिसंगत परिश्रम तथा सतर्कता से कानूनी कार्यवाहियाँ चलाते रहते हैं।

समय बीत जाने के कारण से आवश्यक रूप से उत्पन्न कठिनाई और भूल को बचाने के लिए एक निश्चित वर्षों की संख्या के बाद तथ्य और अधिकार के मेल की उपधारणा को अन्तिम होना सही तौर पर स्वीकार किया जाता है। जो इस उपधारणा के बारे में विवाद करना चाहता है उसको ऐसा विवाद उस निश्चित अवधि के अन्दर ही करना चाहिए, नहीं तो जो भी अधिकार वह रखता है उसे, उसकी असावधानी के दण्ड के रूप में, जब्त कर लिया जाएगा।

मर्यादा अधिनियम की धारा 3 उपर्युक्त सिद्धांत पर आधारित होकर न्यायालय के लिए आदेशात्मक है कि वह ऐसे किसी ताजा आधार को मियाद-काल बीत जाने के बाद रखने की अनुमति नहीं दे, जिसको अपील के ज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है, यदि ऐसी अनुमति से सारभूत न्याय के सही सिद्धान्त पराजित होते हैं (**सन्ता सिंह गोपाल सिंह** का ऊपर उद्धृत वाद)। यह धारा निर्धारित मियाद की अवधि के बाद दायर किये गए किसी भी वाद, अपील या आवेदन को खारिज करने का आदेश न्यायालय को देती है भले ही विरोधी पक्षकार ने मियाद की दलील पेश की हो।

**4. मियाद-विधि एक प्रक्रिया-विधि है** (Law of limitation is a procedural law):- मियाद विधि एक प्रक्रिया-विधि है और वाद की तारीख पर मौजूदा उसके प्रावधान उस वाद को लागू होते हैं

Scanned with CamScanner

मर्यादा अधिनियम के प्रावधान न तो मुख्य विधि (Substantive law) के किन्हीं सामान्य सिद्धान्तों की झलक दिखाते हैं और न ही मुकदमेबाजों को कोई सारवान अधिकार ही प्रदान करते हैं। इसलिए उनमें जो कुछ भी स्पष्ट या विवक्षित है, उससे अधिक उन्हें लागू किये जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह अधिनियम भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। इसलिए उन्हें अपने सामने उत्पन्न होने वाले सभी दावों के सम्बन्ध में उसका ही अनुसरण करना और उसे लागू करना चाहिए।

**5. मियाद विधि किसी अधिकार को समाप्त नहीं करती है, केवल उसके उपचार को बाधित करती है** (Law of limitaion does not extinguish any right, it only bars the remedy therof):- मियाद-विधि एक प्रक्रिया विधि के रूप में न तो किसी ऐसे अधिकार को स्थापित कर सकती है, जो अस्तित्व में ही नहीं है, और न ही वह किसी अधिकार को समाप्त कर सकती है, जो अस्तित्व में है। यह केवल अधिकार को लागू कराने के उपचार में बाधा उत्पन्न करती है। ऐसा अधिकार अस्तित्व में तो होता है किन्तु वह मियाद-बाधित (time barred) हो जाने के कारण लागू कराये जाने योग्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उपचार बाधित हो जाता है। ऐसे मियाद-बाधित उपचार को, बाद में मियाद-विधि में परिवर्तन करके और उसके लिए समय बढ़ा करके भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है [धारा 31 (क)]।

धारा 31 (क) यह अभिव्यक्त करती है कि मियाद अधिनियम, 1963 के लागू होने के पूर्व यदि कोई वाद मियाद अधिनियम, 1908 द्वारा वर्जित हो गया है, तो इस अधिनियम द्वारा उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है।

**उदाहरण के लिए-** जहाँ किसी ऋण की वसूली का अधिकार मियाद-बाधित हो गया है, वहाँ यदि ऋणी व्यक्ति इसकी जानकारी न होने के कारण महाजन को भुगतान कर देता है, तो ऐसा भुगतान जायज है, क्योंकि महाजन को उसे प्राप्त करने का अधिकार, न्यायालय के बाहर प्राप्त है। इसलिए ऋणी वाद में, इस आधार पर कि कथित ऋण की वसूली मियाद-बाधित थी, उस भुगतान को वापस करने के लिए कोई वाद दायर नहीं कर सकता है।

**6. मियाद-विधि देशी विधि का एक अंग है** (Law of limitation is a part of the lex fori):- मर्यादा-विधि एक देशी विधि (lex fori) है, अर्थात् किसी संविदा की व्याख्या (निर्वचन) उस स्थान की विधि के अनुसार किया जाना चाहिये जहाँ पर संविदा की गई हो।

इस नियम का कारण न्यायाधीश स्टोरी द्वारा यह बताया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुविधा और फायदे के लिए विधि-न्यायालयों की स्थापना करता है और उसी के अपने न्याय के विचारों और औचित्य के द्वारा उपचारों की प्रकृति और कार्यवाहियों के समय और ढंग का विनियमन किया जाता है और उसकी अपनी आवश्यकताओं और प्रथा के द्वारा उन्हें प्रचलित किया जाता है। इसलिए वह किसी विदेशी राज्य के लिए मात्र सौजन्यतावश स्वयं अपनी ही न्यायिक व्यवस्था के विचारों से हटने के लिए विवश नहीं है। इसलिये उन मामलों में जहाँ कि किसी अन्य राज्य में की गई संविदा पर किसी एक देश में कार्यवाही की जाती है, वहाँ उस अन्य राज्य की मियाद-विधि की दलील, जिसमें संविदा की गई है, कोई अच्छा अवरोध नहीं है, जब कि उसी राज्य की विधि की दलील, जिसमें कार्यवाही की गई है, एक अच्छा अवरोध है।

इस नियम के अपवाद में एक मामला अवश्य ऐसा है जिसमें दावेदार (वादी) का उपचार और अधिकार, दोनों ही, उस राज्य की मियाद-विधि के अन्तर्गत नष्ट हो गए हों,

Scanned with CamScanner

जिसमें संविदा की गई हो। किन्तु आमतौर से व्यक्तिगत कार्यवाहियों में ऐसा नहीं होता है

यह मर्यादा अधिनियम भारत की देशी विधि है, जो कार्यवाहियों के केवल उपच और प्रकृति को उजागर करती है। इसलिए भारत में दायर की गई कार्यवाहियों को ऐ कोई भी विदेशी विधि लागू नहीं होगी, जो केवल उपचार को प्रभावित करती हो और मा प्रक्रियात्मक विधि हो। केवल उपचार को, बल्कि स्वयं उस अधिकार को ही समाप्त क चुकी है, जिसके लिए उपचार चाहा जाता है। (धारा 11)

**7. मियाद-विधि पक्षकारों के विकल्प पर निर्भर नहीं है (Law of limitatio does not depend on the option of parties):-** मर्यादा अधिनियम के प्रावधा आदेशात्मक (mandatory) हैं और न्यायालयों तथा पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं। इसलि पक्षकारगण आपस में अपनी सुविधानुसार कोई करार करके अधिनियम द्वारा निर्धारि किसी मियाद-काल को घटा-बढ़ा नहीं सकते हैं। उनका ऐसा कोई करार शून्य होगा क्योंकि ऐसा करने का कोई विकल्प उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नहीं है।

**8. मर्यादा-अधिनियम अपने-आप में एक पूर्ण संहिता है (Limitation Act is in itself, a complete Code):-** यह अधिनियम अपने-आप में एक पूर्ण संहिता है औ किन्हीं विशिष्ट अधिनियमों में किये गए किन्हीं विशिष्ट उपबन्धों को छोड़कर, इस अधिनियम से बाहर कोई अन्य मियाद-विधि मान्य नहीं है। यह केन्द्रीय कानून है, जो भारत में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है और वे अपने सामने उत्पन्न होने वाले दावों के सम्बन्ध में उसे लागू करने और उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य हैं।

यह अधिनियम वादों, अपीलों और कुछ किस्म के आवेदनों की मियाद के सम्बन्ध में मियाद-विधि का एकीकरण और संशोधन करने वाला एक कानून है। (प्रस्तावना)। इसलिए यह मियाद के विषय पर एक पूर्ण संहिता है और एक प्रक्रियात्मक विधि भी है। इसलिए जो बातें इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्दर नहीं आतीं, उन्हें ये प्रावधान लागू नहीं होंगे।

**9. मियाद का अवरोध केवल वादी के विरुद्ध ही उठाया जा सकता है, प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं (Bar of limitation may be raised only against the plaintiff, not against the defendant):-** मियाद विधि का एक सामान्य नियम है कि मियाद का अवरोध प्रतिवादी के द्वारा वादी के विरुद्ध उठाया जा सकता है, किन्तु वादी के द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं उठाया जा सकता है। चूँकि मियाद विधि किसी अधिकार को लागू कराने के लिए वादी को केवल वाद दायर करने के उपचार से रोकती है, किन्तु उस अधिकार को नष्ट नहीं करती है, इसलिए प्रतिवादी अपने ऐसे किसी मियाद-बाधित अधिकार को प्रतिवाद में उठा सकता है, जिसको वह, वादी के रूप में वाद चलाकर लागू नहीं करा सकता है, और तब ऐसी दशा में मियाद के अवरोध की दलील प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं उठा सकेगा, क्योंकि प्रतिवादी के विरुद्ध कोई मियाद नहीं होती है।

Scanned with CamScanner

## मर्यादा अधिनियम, 1963 के उद्देश्य
## (Objects of the Limitation Act, 1963)

इस अधिनियम के विधेयक में कथित ''उद्देश्यों और कारणों का कथन'' में कहा गया कि- ''यह विधेयक भारतीय मर्यादा अधिनियम, 1908 पर विधि-आयोग के तीसरे प्रतिवेदन को, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ, लागू करना चाहता है। प्रथम अनुसूची के अनुच्छेदों को उनकी विषय-वस्तु के अनुसार फिर से व्यवस्थित करने और मियाद की अवधियों को जहाँ तक सम्भव हो युक्तिसंगत बनाने के बारे में आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाते समय यह महसूस किया गया है कि वर्तमान योजना को, जो लगभग सभी मामलों में, समय के उस खास बिन्दु को बताती है, जहाँ मियाद की अवधि दौड़ना शुरू करती है, ज्यों का त्यों कायम रखना अधिक लाभदायक होगा।''

विधेयक के उपर्युक्त 'कथन' से यह स्पष्ट है कि यह अधिनियम प्रथम अनुसूची के अनुच्छेदों को, जिनमें विभिन्न वादों, अपीलों और आवेदनों के लिए मियाद की अवधि निर्धारित की गई है, उनकी विषय-वस्तु के अनुसार फिर से व्यवस्थित करता है और मियाद की अवधियों को यथासम्भव युक्तिसंगत बनाता है, जबकि मियाद की अवधि के दौड़ने के खास बिन्दु को ज्यों का त्यों पहले की तरह कायम रखता है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से हैं उनकी चर्चा नीचे की जाती है।

## इस अधिनियम द्वारा किये गए महत्वपूर्ण परिवर्तन
## (Salient changes made by this Act)

ये महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं-

(1) इस अधिनियम में 31 धाराएँ और अनुसूची में 137 अनुच्छेद हैं, जबकि 1908 के अधिनियम में 30 धाराएँ और अनुसूची में 183 अनुच्छेद थे।

(2) मियाद की अधिकतम अवधि और वह भी केवल निम्नलिखित तीन प्रकार के मामलों के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है-

1. अचल सम्पत्ति के बन्धक-मोचन (redemption) या उसके कब्जे की पुन:प्राप्ति (recovery) के लिए बन्धककर्ता द्वारा वाद,

Scanned with CamScanner

## मर्यादा के अवरोध का अर्थ

## (Meaning of the bar of limitation)

मर्यादा के अवरोध का अर्थ, मर्यादा अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार, यह है कि यदि वाद, अपील और आवेदन मियाद की उस अवधि के बीत जाने पर न्यायालय में पेश किया जाता है, जो उसके लिये इस अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित है, तो उसे न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जायेगा, भले ही इस अवरोध का तर्क विरोधी पक्षकार, अर्थात् प्रतिवादी ने अपने बचाव में न उठाया हो। इसी के साथ-साथ यदि किसी वाद, अपील या आवेदन के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 3 की अनुसूची में कोई समय निर्धारित नहीं है तो ऐसे वाद के सम्बन्ध में न्यायालय स्वयं अपनी इच्छा पर वाद मियाद बाधित नहीं घोषित कर सकता है।

इसी तथ्य के सम्बन्ध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण वाद **समी उल्लाह और अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश**, AIR 1988 All. 158 का है।

Scanned with CamScanner

इस वाद में प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश पर आसामी के बेदखली को मियाद बाधित नहीं माना गया और मर्यादा का ऐसा अवरोध इस अधिनियम की अगली धाराओं 4 से 24 तक में उपबन्धित की गई बातों के अधीन ही उठाया जा सकेगा, अर्थात् यदि इन धाराओं के अन्तर्गत मर्यादा के अवरोध के बचाव में मियाद सम्बन्धी कोई छूट दी गई है, तो उस पर भी साथ-साथ विचार किया जायेगा कि क्या निर्धारित मियाद की अवधि के बाद, कथित वाद, अपील या आवेदन को पेश करने में जो देरी की गई है उसे माफ किया जा सकता है, या मियाद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, अथवा किसी अन्य प्रकार से कथित छूट का लाभ वादी, अपीलकर्त्ता या आवेदक को दिया जा सकता है। इसके बावजूद, यदि न्यायालय उस वाद या अपील या आवेदन को खारिज करने का निर्णय लेता है, तो विरोधी पक्षकार उसका उत्तर देने की जवाबदेही से बरी हो जायेगा।

इस प्रकार मर्यादा के अवरोध का अर्थ यह है कि कोई वाद या अपील या आवेदन, उसके लिये इस अधिनियम द्वारा जो मियाद निर्धारित की गई है, उसके बीत जाने पर न्यायालय में पेश किये जाने के कारण मियाद-बाधित (time-barred) हो गया है, क्योंकि उसे इस निर्धारित मियाद के अन्दर पेश किया जाना चाहिये था। इसलिये ऐसे मियाद-बाधित वाद, अपील या आवेदन को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिये, यदि उसे सम्बन्धित उपबन्धों के अधीन मियाद सम्बन्धी कोई छूट नहीं दी जाती है।

**कौन पक्षकार मर्यादा के अवरोध का तर्क पेश कर सकता है? (Which party can raise a plea of the bar of Limitation):-** उपर्युक्त मर्यादा-अवरोध (या मियाद की बाधा) का तर्क केवल विरोधी पक्षकार ही वादी, अपीलकर्त्ता या आवेदक, जो भी हो, के विरुद्ध न्यायालय में उठा सकता है। यह अधिकार वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्रतिवादी के विरुद्ध कोई मियाद नहीं होती है।

**विधि का नियम यह है कि किसी प्रतिवादी के विरुद्ध मियाद लागू नहीं होती है (The rule of law is that, there is no limitation against a defendant):-** चूँकि मियाद विधि केवल उपचार को ही बाधित करती है, किसी अधिकार को नष्ट नहीं करती है, इसलिये प्रतिवादी अपने उस अधिकार को, जिसे वह मियाद बाधित होने के कारण वाद के द्वारा एक वादी के रूप में लागू करा सकता था, अब अपने प्रतिवाद में वादी के विरुद्ध स्थापित कर सकता है, बशर्ते कि वादी वही व्यक्ति है जिसके विरुद्ध ऐसा अधिकार उसे प्राप्त था।

अपवाद (Exceptions):- उपर्युक्त विधि के निम्नलिखित अपवाद भी हैं-

**1. मुजराई तथा प्रतिदावा का अधिकार** (Right of set-off and counter-claim):- चूँकि मुजराई तथा प्रतिदावा (Set-off and counter-claim) के अधिकार का दावा, एक पृथक वाद के रूप में, किया जा सकता है, इसलिये ऐसे दावा को मियाद के नियम लागू होंगे और मियाद की अवधि की गणना-मुजराई के लिये उस तारीख से की जायेगी, जिस तारीख को वादी ने अपना वह वाद दायर किया हो, न कि उस तारीख से, जबकि प्रतिवादी ने अपना लिखित कथन (जवाब दावा) दाखिल किया है। प्रतिवादी के बारे में, मियाद की गणना उस तारीख से की जायेगी, जिस तारीख को प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में प्रतिदावा की माँग की है। इसलिये ऐसी मुजराई या प्रतिदावा की माँग को कथित तारीख को मियाद-बाधित नहीं होना चाहिये। यदि उस तारीख को प्रतिवादी की माँग मियाद-बाधित है, तो खारिज कर दिया जायेगा।

Scanned with CamScanner

अधिकार प्राप्त करता है, (3) कोई व्यक्ति, ...
निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।

**2. वादी** (Plaintiff):- इस पद की कोई सीधी परिभाषा नहीं दी गई, बल्कि उसमें निम्नलिखित को शामिल होना कहा गया है-

1. कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिससे या जिसके द्वारा वादी वाद चलाने का अधिकार प्राप्त करता है,
2. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।

सामान्यत: वादी से वह व्यक्ति समझा जाता है जो न्यायालय में कोई उपचार प्राप्त करने के लिये वाद चलाता है। इस पद में उपर्युक्त दो प्रकार के व्यक्तियों को शामिल करके

Scanned with CamScanner

वादी की परिभाषा को और अधिक व्यापक बना दिया गया है।

**3. प्रतिवादी** (Defendant):- इस पद की कोई सीधी परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल होना कहा गया है-

1. कोई भी व्यक्ति, जिससे या जिसके द्वारा प्रतिवादी का अपने ऊपर वाद चलाये जाने का दायित्व उत्पन्न होता है,
2. कोई व्यक्ति जिसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।

सामान्यत: प्रतिवादी वह व्यक्ति समझा जाता है जिसके ऊपर कोई वाद न्यायालय में चलाया जाता है। परिभाषा में उपर्युक्त दो प्रकार के व्यक्तियों को भी शामिल करके प्रतिवादी के अर्थ को और अधिक व्यापक बना दिया गया है।

**4. वाद** (Suit):- परिभाषा के अनुसार इस पद में कोई आपत्ति या आवेदन शामिल नहीं है।

उपर्युक्त 'वाद' शब्द की कोई सीधी परिभाषा नहीं है, केवल वाद से अपील या आवेदन की भिन्नता बताने के लिये ही उपर्युक्त प्रकार से वाद शब्द को परिभाषित किया गया है।

सामान्यत: 'वाद' से ऐसा कोई प्रारम्भिक सिविल मुकदमा समझा जाता है, जो न्यायालयों में वाद पत्र पेश करके वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया जाता है।

**5. बन्धपत्र** (Bond):- बन्धपत्र में ऐसा कोई दस्तावेज (या लिखत : instrument) शामिल है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे को शर्त पर धन देने के लिये स्वयं अपने को बाध्य (obliged) कर लेता है कि यदि कोई उल्लिखित कार्य, यथास्थिति किया गया या नहीं किया गया, तो यह आभार (obligation) शून्य हो जायेगा।

**6. विनिमय पत्र** (Bill of Exchange):- विनिमय पत्र की कोई सीधी परिभाषा नहीं दी गई है, केवल यह कहा गया है कि उसमें हुण्डी और चैक शामिल हैं।

'परक्राम्य लिखत अधिनियम' में 'विनिमय-पत्र' को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह ''लिखत में, और उसके निर्माता के द्वारा हस्ताक्षरित, एक ऐसा लिखित (दस्तावेज) है, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यह निर्देश करने वाला शर्त रहित आदेश रहता है कि वह व्यक्ति केवल निश्चित व्यक्ति को, या उसके आदेशानुसार, या लिखित के वाहक को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करे।''

**7. वचन पत्र** (Promissory Note):- ''वचनपत्र का अर्थ किसी ऐसे दस्तावेज (लिखत : Instrument) से है, जिसके द्वारा उसका निर्माता किसी दूसरे को, धन की कोई उल्लिखित राशि, उसमें सीमित किये गये समय पर, या माँग किये जाने पर, या दर्शन पर (अर्थात् उस दस्तावेज को देखते ही या दिखाये जाने पर तुरन्त), देने के लिये पूर्णरूप से वचनबद्ध होता है।''

साधारण बोलचाल की भाषा में वचन-पत्र को 'इन्दुलतलब रुक्का' कहा जाता है, जिसके छपे हुए फार्म बाजार में या स्टाम्प-विक्रेताओं के पास से खरीदे जा सकते हैं।

**8. सुखाधिकार** (Easements):- इस पद की कोई सीधी परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि यह कहा गया है कि उसमें ''संविदा से उत्पन्न न होने वाला ऐसा कोई अधिकार शामिल है जिसके द्वारा एक व्यक्ति, किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि के किसी भाग को, अथवा किसी दूसरे की भूमि में पैदा होने वाली, या उससे संलग्न, या उस पर अस्तित्व रखने वाली

Scanned with CamScanner

किसी वस्तु को अपने लाभ के लिये हटाने और अपने उपयोग में ले लेने (appropriate : विनियोग करने) का हकदार है।''

उपर्युक्त परिभाषा अंग्रेजी विधि के 'परस्व भोग' (Profit a prendre) के अर्थ को भी शामिल करती है।

'भारतीय सुखाधिकार अधिनियम' में इस पद की परिभाषा इस प्रकार दी गई है- ''सुखाधिकार वह अधिकार है जिसे किसी भूमि का स्वामी या अधिभोक्ता (occupier) अपनी इस हैसियत में, उस भूमि के हितकर उपभोग के लिये, किसी भूमि में, या उस पर, या उसके सम्बन्ध में, जो उसकी नहीं है, कुछ करने या निरन्तर करते रहने, या किये जा रहे किसी कार्य को रोकने या निरन्तर रोके रखने के लिये रखता है।''

**9. सद्भावना** (Good faith):- इस पद को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है- ''कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई नहीं समझी जायेगी, जो समुचित सावधानी और ध्यान के बिना की गई है।''

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यह दर्शाया या धारित किया जाता है कि कोई बात समुचित सावधानी और ध्यान के साथ की गई है या उसके बारे में यह समझा जायेगा कि वह सद्भावनापूर्वक की गई है।

इस पद का प्रयोग मुख्य रूप से विलम्ब को क्षमा करने के लिये किया जाता है।

**10. न्यासधारी** (Trustee):- इस पद की कोई सीधी परिभाषा नहीं दी गई है केवल यह कहा गया है कि उसमें, बेनामीदार, वह बन्धकी जो बन्धक का भुगतान हो जाने पर भी कब्जे में है, या वह व्यक्ति जो बिना स्वत्व के दोषपूर्ण कब्जे में है, शामिल नहीं है।

भारतीय न्यास अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार, न्यासधारी वह व्यक्ति है जो किसी सम्पत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिये धारित करता है।

Scanned with CamScanner

## विलम्ब की क्षमा के लिये पर्याप्त कारण
## (Sufficient cause for condonation of delay)

अधिनियम की धारा 5 ऐसी अपीलों या आवेदनों को (जिनमें सि० प्र० सं० के आदेश 21 के अधीन किये जाने वाले आवेदन शामिल नहीं हैं), उनके लिये निर्धारित मियाद की अवधि बीत जाने के बाद भी ग्रहण करने का नियम प्रतिपादित करती है, बशर्ते कि अपीलकर्ता या आवेदनकर्ता न्यायालय को इस बात से सन्तुष्ट कर दे कि कथित निर्धारित समय के अन्दर अपील या आवेदन न करने के पर्याप्त कारण उसके पास हैं।

**धारा 5 के स्पष्टीकरण में** उदाहरण के बतौर, यह बताया गया है कि, यह तथ्य कि, अपीलकर्ता या आवेदक निर्धारित समय को निश्चित करने या उसकी गणना करने में, उच्च न्यायालय के किसी आदेश, प्रणाली या निर्णय से भ्रम में पड़ गया था, इस धारा के अर्थों में पर्याप्त हेतु हो सकता है।

यद्यपि कि इस धारा के अधीन किसी पर्याप्त कारण से सन्तुष्ट होकर विलम्ब को क्षमा कर देना न्यायालय के स्वविवेक (discretion) के अधीन है, फिर भी न्यायालय को स्वविवेक का यह अधिकार विधानमण्डल द्वारा जानबूझकर इसलिये प्रदान किया गया है जिससे कि वह, उपयुक्त मामलों में सारभूत न्याय को बढ़ाने के लिये अपनी न्यायिक शक्ति और स्वविवेक का प्रयोग कर सके। अस्तु पर्याप्त कारण दर्शाये जाने पर विलम्ब को क्षमा के लिये इस धारा के अधीन की गई प्रार्थना मंजूर करने योग्य होती है।

**पर्याप्त कारण की कसौटी** (Test of the Sufficient Cause):- यद्यपि विलम्ब के लिये पर्याप्त कारण हर एक मामले में उसको परिस्थिति के अनुसार कोई भी और कुछ भी

Scanned with CamScanner

हो सकता है और उसको ठीक-ठीक परिभाषित और निर्धारित करना कठिन है, फिर भी किसी पर्याप्त कारण को निम्नलिखित कसौटी पर सामान्य रूप से कसा जा सकता है-

1. यह कि विलम्ब का कारण वास्तविक है, और अपीलकर्त्ता या आवेदन के नियन्त्रण से बाहर था।
2. यह कि अपीलकर्त्ता या आवेदक लापरवाही का दोषी कतई नहीं है।
3. यह कि विलम्ब सद्भावपूर्ण कारण से हुआ है।

**हरियाणा राज्य बनाम चन्द्रमणि**, AIR 1966 SC 1623 के मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'पर्याप्त कारण' दर्शित करने के लिए कोई निश्चित तथा कठोर मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जा सकते हैं। विलम्ब की क्षमा याचना को कठोरता से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

## पर्याप्त कारण के उदाहरण
## (Instances of Sufficient Causes)

अधिनियम में पर्याप्त कारण की परिभाषा नही दी गई है तथा यह भी नहीं उल्लेखित किया गया है कि, कौन-कौन से कारण पर्याप्त कारण होंगे। फिर भी न्यायिक निर्णयों द्वारा निम्नलिखित को पर्याप्त कारण माना गया है।

**1. बीमारी** (Illness):- बीमारी पर्याप्त कारण हो सकती है परन्तु यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि मनुष्य किसी भी प्रकार के कर्त्तव्य पालन में असमर्थ था। परिस्थितिवश बीमारी का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि यह विलम्ब के लिए उचित क्षमा करे।

**2. भूल** (Mistake):- निर्णय और डिक्री की शुद्ध प्रतिलिपि न तैयार करने में न्यायालय के अधिकारी द्वारा की गयी भूल पर्याप्त कारण है। ऐसी भूल जो उचित सावधानी एवं ध्यान बरतने के बावजूद सद्भावनापूर्वक हो गयी हो 'पर्याप्त कारण' माना गया है। इसे **स्टेट आफ महाराष्ट्र** बनाम **हीराचन्द्र**, 1976 Cr. L J 1850 में सही ठहराया गया है। परन्तु कानून की भूल या अज्ञानता (Mistake of Law) को पर्याप्त कारण नहीं माना गया है।

**3. अधिवक्ता की भूल** (Mistake of Counsel):- विधि व्यवसायी या एडवोकेट (Advocate) द्वारा दी गयी गलत सलाह पर्याप्त कारण को जन्म दे सकती है।

**लक्ष्मी तिवारी** बनाम **डायरेक्टर**, AIR 1984 SC 41 में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिवक्ता द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई भूल पर्याप्त कारण है। परन्तु भूल को इस प्रकार का होना आवश्यक है जो कि अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा भी की जा सकती हो।

**यू० पी० रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन** बनाम **केदार सिंह**, AIR 1991 All. 317 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि जहाँ अपील प्रस्तुत करने में वकील या उसके कार्यालय की गलती है तो वहाँ विलम्ब को क्षमा करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए।

**म्युनिसपल कार्पोरेशन ग्वालियर** बनाम **रामचरण**, (2002)4 SCC 458 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां अभिभाषक की कोर्ट डायरी में तारीख की गलत एन्ट्री के कारण देरी हुई है वहां वह माफ किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

**4. कारावास** (Imprisonment):- कारावास का होना पर्याप्त कारण हो सकता है न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसे अपने बचाव में अधिकारियों द्वारा अड़चन दी गयी है या अन्य प्रकार से बचाव में निर्योग्यता दी गयी है, तब ही यह पर्याप्त कारण हो सकता है।

**5. अशिक्षा एवं अज्ञानता** (Illiteracy):- कुछ मामलों में अशिक्षा को भी पर्याप्त कारण माना गया है।

**यल्लावा बनाम सन्तावा**, AIR 1997 SC 35 के मामले में एक अशिक्षित अनावेदिका ने एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने हेतु देरी से आवेदन प्रस्तुत किया। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अज्ञानता एवं अशिक्षा के कारण अनावेदिका को एक पक्षीय डिक्री की जानकारी नहीं हो सकी थी इस कारण उसे धारा 5 के अन्तर्गत 'पर्याप्त कारण' मानते हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है।

**6. पत्राचार में देरी** (Delay in Correspondence):- **ओरियेन्ट इन्शोरेन्स कं० बनाम कैलाश देवी**, AIR 1994 P & H 45 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि दो कार्यालयों के बीच हुए पत्राचार में लगने वाले समय के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जा सकता है। इसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है।

**7. प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने में विलम्ब** (Delay in obtaining copies):- जहाँ प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने में न्यायालय के अधिकारियों द्वारा विलम्ब किया गया हो वहाँ वह विलम्बित समय क्षमा किये जाने योग्य होता है।

**कु० अम्मा भानुमती बनाम कयकुट्टी अम्मा**, AIR 1994 Ker. 262 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहाँ वादी एक से अधिक वाद संस्थित करता है तो वह एक वाद के निर्णय प्राप्ति में लगे समय को अन्य वादों के सन्दर्भ में उपयोग कर समय की छूट का लाभ नहीं ले सकता है।

**8. विशेष वर्ग के व्यक्ति** (Special Class of Persons):- शासन स्वतः या अन्य कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत किसी विशेष रियायत का अधिकारी नहीं होता है परन्तु शासन के सिस्टम के तहत लगे अधिक समय को क्षमा किया जा सकता है।

**कं० आर० बेरी एण्ड कं० बनाम कर्मचारी राज्य बीमा**, AIR 1962 P & H 301 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य के कार्यों तथा किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों में न्यायालय द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में प्रस्तुत पर्याप्त कारण के सम्बन्ध में भेद किया जा सकता है।

**9. न्यायालय की ओर से लापरवाही** (Laches on the Part of the Court):- **जी० सी० गुप्त बनाम भारत संघ**, AIR 1965 P & H 129 में अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय के अधिकारियों की ओर से अनुचित विलम्ब या लापरवाही के कारण पक्षकारों का अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

## विधिक निर्योग्यता का अर्थ

## (Meaning of legal disability)

इस अधिनियम की धारा 6 के अर्थ के अन्तर्गत अवयस्कता (minority), उन्मत्तता (insanity) और मूढ़ता (idiocy) को 'विधिक निर्योग्यता' (legal disability) कहा जाता है, और जब कोई व्यक्ति जो कोई वाद या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आवेदन दायर करने के लिए हकदार है, ऐसी किसी भी विधिक नियोग्यता से प्रभावित (या

Scanned with CamScanner

पीड़ित) होता है, तब यह कहा जाता है कि वह ऐसी प्रभावित दशा में ऐसा वाद या आवेदन करने के लिए विधिक रूप से निर्योग्य (legally disable) है। इस प्रकार कोई अवयस्क या उन्मत्त या मूढ़ व्यक्ति, कोई वाद, या किसी डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आवेदन, दायर करने के लिए हकदार होते हुए भी, ऐसा वाद या आवेदन दायर करने के लिए विधिक रूप से निर्योग्य होता है। ऐसे व्यक्ति को मियाद की अवधि में छूट दी जाती है।

## विधिक निर्योग्यता के आवश्यक तत्व
## (Essentials of Legal disability)

1. निर्योग्यता का लगातार होना आवश्यक है।

2. निर्योग्यता ऐसे व्यक्ति की होनी आवश्यक है जो वाद प्रस्तुत करने या निष्पादन का आवेदन करने का अधिकारी हो। अर्थात् यह विशेषाधिकार केवल वादीगण को प्राप्त है, प्रतिवादीगण को नहीं।

3. वाद प्रस्तुत करने के अधिकार के उत्पन्न होने के समय या उस समय जबसे कि अवधि की गणना आरम्भ होने को हो उस व्यक्ति का निर्योग्यता के अधीन होना आवश्यक है।

इस धारा के अन्तर्गत वाद कारण (Cause of action) की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय से ही मियाद की गणना प्रारम्भ होती है और निर्योग्यता का लाभ भी उसी समय से प्राप्त होता है।

इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अवयस्क" के अन्दर गर्भस्थित बालक (Child in womb) को शामिल किया गया है अर्थात् गर्भस्थित बालक को अवयस्क समझा जायेगा और वह विधिक रूप से निर्योग्य होगा तथा इस कारण से उसे इस धारा के अधीन मियाद की छूट मिलेगी।

धारा 6 सभी प्रकार के वादों को तो लागू होती है किन्तु सभी आवेदनों को लागू नहीं है, केवल किसी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदनों को ही लागू होगी। अपील के मामलों में इसे बिल्कुल लागू नहीं किया गया है।

धारा 6 में ध्यान देने योग्य बात केवल यह है कि निर्धारित मियाद की अवधि का बीतना उसी दिन से लगातार जारी रहेगा जिस दिन से उसकी गणना, अनुसूची के खाना (3) में कथित प्रकार से, की जानी है, विधिक नियोग्यता के कारण वह रुकेगा नहीं। अर्थात् विधिक निर्योग्यता के दौरान भी उसका दौड़ना (बीतना) जारी रहेगा।

**विधिक निर्योग्यता के कारण मियाद अवधि में छूट** (Exemption from limitation due to legal disability):- अब हमें यह देखना है कि इस धारा में कथित मियाद की छूट का लाभ विधिक रूप में निर्योग्य व्यक्ति को किस प्रकार से मिलेगा। वह छूट इस प्रकार से मिलेगी–

1. यदि निर्धारित अवधि निर्योग्यता जारी रहने के दौरान ही बीत जाती है, तो ऐसा व्यक्ति निर्योग्यता दूर होने के बाद, निर्योग्यता दूर होने की तारीख से अगले 3 साल की अवधि के अन्दर उस वाद या आवेदन को दायर कर सकेगा जिसको दायर करने का हकदार वह उस समय रहा है जिस समय वह निर्योग्य था।
2. उपर्युक्त कथित 3 साल की अतिरिक्त अवधि, आगे धारा 8 के अन्दर मियाद की अधिकतम रियायती अवधि के रूप में मंजूर की गई है। किन्तु इस छूट का

Scanned with CamScanner

लाभ हकशुफा (अग्रक्रयाधिकार : Premption) के अधिकारों को लागू करने के लिये नहीं मिलेगा।

3. यदि निर्योग्यता निर्धारित मियाद की अवधि के अन्दर ही दूर हो जाती है, तो निर्योग्यता दूर होने पर, निर्धारित अवधि की शेष बची अवधि के अन्दर ही वाद या आवेदन दायर किया जायेगा। इस दशा में कोई अतिरिक्त समय वादी या आवेदक को नहीं मिलेगा।

4. यदि विधिक रूप से निर्योग्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा उसकी मृत्यु होने तक उसकी निर्योग्यता लगातार बनी रहती है, तो उसके विधिक प्रतिनिधि को भी उपर्युक्त कथित पैरा (1) या (2) के अनुसार ही मियाद की छूट का लाभ निर्योग्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद से मिलेगा। यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर उसक विधिक प्रतिनिधि, स्वयं, विधिक रूप से निर्योग्य व्यक्ति है, तो उसको भी पैरा (1) व (2) के अनुसार ही मियाद की छूट का लाभ मिलेगा।

**उदाहरण** (Illustration):- (1) 'अ' की उम्र 3 वर्ष है, और उसे 12 वर्ष की मियाद की अवधि वाद दायर करने के लिये प्राप्त है। यह अवधि उसके 15 वर्ष की आयु पूरी करने पर बीत जाती है जबकि अभी भी वह नाबालिग है। उसकी विधिक निर्योग्यता 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर ही दूर होगी, अत: वह अगले 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के अन्दर कभी भी वाद दायर कर सकता है।

(2) 'अ' की उम्र 12 वर्ष की है और उसे 12 वर्ष की मियाद की अवधि वाद दायर करने के लिये प्राप्त है, जो 'अ' के 24 वर्ष की उम्र तक चालू रहेगी। अत: 'अ' 18 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद अपनी 24 वर्ष की उम्र होने तक, अर्थात् 6 वर्ष के अन्दर कभी भी वाद दायर कर सकता है।

**अतिछादन का सिद्धान्त** (Doctrine of overlapping) **या दोहरी वैध निर्योग्यता** (Double legal Disability):- जहाँ एक ही व्यक्ति में पहले से मौजूद किसी विधिक निर्योग्यता के दूर होने से पहले ही यदि वह व्यक्ति किसी दूसरी निर्योग्यता से ग्रस्त हो जाता है अर्थात् पहली निर्योग्यता बाद वाली दूसरी निर्योग्यता से अतिछादित (overlapping) हो जाती है तो उस व्यक्ति को इन दोनों निर्योग्यताओं के दूर हो जाने के बाद धारा 6 के द्वारा बढ़ाई गई अवधि का लाभ मिल जाता है। कई संयुक्त वादियों या आवेदकों में से यदि कोई व्यक्ति, धारा 6 के अर्थ में, निर्योग्य है, किन्तु उनमें से कोई भी एक व्यक्ति ऐसे निर्योग्य व्यक्ति की विधिक निर्योग्यता को, धारा 7 के अन्तर्गत आच्छादित कर लेता है, जिस कारण से उस निर्योग्य व्यक्ति को धारा 6 में कथित मियाद की रियासत नहीं मिलेगी।

उपर्युक्त तथ्य पर आधारित उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण वाद **शरद प्रसाद बनाम लालता जमुना प्रसाद** AIR 1961 SC 1074 का है जिसमें यह निर्धारित किया गया कि संयुक्त वादियों या आवेदकों में से ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 6 के अधीन निर्योग्य नहीं है और निर्योग्य व्यक्ति की सम्मति के बिना मियाद के उन्मोचन की सामर्थ्य रखने वाला हो और उन्मोचन करता है तो वह धारा 6 की निर्योग्यता को आच्छादित कर देगा।

निष्कर्ष रूप में, तीनों धाराओं 6, 7 और 8 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिये, क्योंकि विधिक निर्योग्यता के सम्बन्ध में मियाद की रियायत का लाभ इन तीनों ही धाराओं में विभाजित करके खण्ड-रूप से उपबन्धित किया गया है। इनमें से धारा 6 रियायती अवधि के सम्बन्ध में मुख्य मूल नियम उपबन्धित करती है, तो धारा 8 उस रियायती अवधि की निर्योग्यता दूर होने, या निर्योग्य व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से 3 वर्ष तक निर्धारित करती है

Scanned with CamScanner

## मियाद की अवधि की गणना

### (Computation of Period of Limitation)

अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार, किसी वाद, अपील या आवेदन के लिये मियाद की अवधि की गणना करने में वह दिन छोड़ दिया जायेगा जिस दिन से ऐसी अवधि की गणना की जानी हो।

Scanned with CamScanner

समय का जाना या बीतना उसी दिन से प्रारम्भ होता है जिस दिन वाद हेतु (Cause of action) उत्पन्न होता है जिसका उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है।

धारा 12 के प्रावधानों की व्याख्या के अनुसार-

1. अपील के लिए निर्धारित अवधि की गणना करने में निम्नलिखित अवधि को छोड़ (exclude) कर दिया जायेगा-

1. वह दिन जिससे अवधि बीतना शुरू हुआ है।
2. वह दिन जिस पर निर्णय सुनाया गया है।
3. उतने दिनों को जितने दिन अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि लेने में बीते हों।
4. उतने दिनों को जितना कि उस निर्णय की एक प्रति प्राप्त करने के लिए वांछित है।

2. पुनरीक्षण (Revision) तथा पुनर्विलोकन (Review) के आवेदन के लिए निम्नलिखित अवधि को छोड़ दिया जायेगा-

(1) वह दिन जिस दिन से अवधि का बीतना प्रारम्भ हुआ है।

(2) वह दिन जिस दिन निर्णय सुनाया गया है।

(3) उतने दिनों को जितने दिन निर्णय या डिक्री की प्रतिलिपि लेने में लगे हों।

3. पंचाट (award) के मामले में वह समय निकाल दिया जायेगा जो कि पंचाट की नकल लेने में लगा है।

4. अन्य किसी आवेदन के लिए निर्धारित कालावधि की गणना करने में केवल वह दिन जब से समय बीतना प्रारम्भ होता है, निकाल या छोड़ दिया जायेगा।

इस धारा के तहत आने वाले सभी मामलों के लिए कोई निश्चित नियम निरूपित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले का विनिश्चय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। **यू० पी० स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन** बनाम **केदार सिंह,** AIR 1991 All. 315 के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि 'अपेक्षित समय' पद से तात्पर्य ऐसे समय से है जिसकी उचित युक्तिसंगत रूप में अपेक्षा की जाती हो। ऐसा कोई समय अपेक्षित नहीं समझा जा सकता है जिसका बीतना यदि अपीलान्ट के आदेश प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत और उचित कार्यवाही की होती, तो अनावश्यक था।

डिक्री के तैयार हो जाने के बाद पक्षकार उस पर वकील से सलाह प्राप्त करने में जो समय बिताता है वह अपेक्षित समय नहीं माना जा सकता है।

**टी० पी० श्यामला** बनाम **कक्षीचरण,** AIR 1996 Ker. 4 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि इस धारा के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता उस अवधि की छूट प्राप्त नहीं कर सकता जो कि उसने निर्णय की तिथि एवं निर्णय की प्रति हेतु प्रदत्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में व्यर्थ की हो। आवेदन करने के दिनांक से लेकर प्रतिलिपि की तैयारी की सूचना दिये जाने के दिनांक तक का समय अपेक्षित समय होता है।

**उच्चतम न्यायलय ने बाल मुकुन्द** बनाम **लाजवन्ती,** AIR 1973 SC 1089 के मामले में स्पष्ट किया है कि यदि डिक्री को तैयार करने में देरी की कोई समयावधि स्वयं आवेदनकर्त्ता की चूक या उपेक्षा के कारण से हुई है तो इस धारा के तहत परिसीमावधि में कोई छूट नहीं मिल सकेगी।

Scanned with CamScanner

धारा 14 में यह सिद्धान्त निहित है कि यदि और जब तक कोई व्यक्ति सद्भावना और उचित उद्यम के साथ उस उपचार को ऐसे न्यायालय से, जिसको उस उपचार को प्रदान करने के लिए वह सक्षम होना विश्वास करता था, प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था तो गलत न्यायालय में उस वाद को प्रस्तुत करने के लिए दण्डित करना उचित नहीं है धारा 14 के अन्तर्गत उस अवधि की मियाद अवधि के निर्धारण में सम्मिलित करने से वर्जित किया गया है जिस दौरान सद्भावना में एक ऐसे न्यायालय में कार्यवाही जारी रखी गई हो जो उसके निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार नहीं रखता था।

इस धारा के अन्तर्गत अपवर्जन के सम्बन्ध में न्यायालय को विवेक शक्ति प्रदान नहीं की गई है बल्कि वादार्थी अधिकारतः निष्फल कार्यवाही में बीते समय के अपवर्जन का अधिकारी होता है। **श्री वशीराम बनाम श्री खजाना**, AIR 1993 HP 20 के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब बन्धक के उन्मोचन के मामले में वादी 1913 के एक्ट के अन्तर्गत पूरी सतर्कता के साथ कलेक्टर के सम्मुख प्रक्रिया प्रारम्भ करता है तथा कलेक्टर आदेश भी पारित करता है तो यह आदेश उसी प्रकार के अन्य हेतु के अन्तर्गत पढ़ा जाना चाहिए। वादी इस समय की छूट ले सकता है।

## धारा 14 की आवश्यक शर्तें
## (Essential Conditions of Sec. 14)

1. वह कार्यवाही जिसे वह अभियोजित कर रहा है दीवानी कार्यवाही (Civil Proceeding) होनी चाहिए।
2. बाद वाली कार्यवाही में प्रतिवादीगण वही होने चाहिए जो पहली वाली कार्यवाही में थे।
3. वाद हेतु (Cause of Action) दोनों कार्यवाहियों में समान होना चाहिए।
4. गलत न्यायालय में प्रस्तुत पहले की दीवानी कार्यवाही।

Scanned with CamScanner

(1) उचित श्रम द्वारा तथा

(2) सद्भावना से होनी चाहिए।

5. न्यायालय जिसमें पहले दीवानी कार्यवाही प्रस्तुत की गई थी वांछित उपचार प्रदान करने में, अधिकार क्षेत्र के अभाव के कारण या अन्य किसी कारण से, असमर्थ हो।

यह धारा ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदारी के साथ अपने वाद को गुणदोष के आधार पर परीक्षण कराने की यथाशक्ति कोशिश कर रहा था, किन्तु न्यायालय उसे ऐसा परीक्षण प्रदान करने में समर्थ न होने के कारण असफल रहा, मियाद अवरोध के विरुद्ध संरक्षण देने की व्यवस्था करती है।

इस सम्बन्ध में निष्कर्ष रूप में अत्यन्त जरूरी बातें ये है कि, पक्षकार (वादी या आवेदक) द्वारा चलाई गई सिविल कार्यवाही मौजूदा वाद या आवेदन के वाद-हेतु पर ही आधारित रही हो और वह उस कार्यवाही को सद्भावपूर्वक और समुचित परिश्रम से चला रहा था, फिर चाहे वह कार्यवाही उसी प्रतिवादी के विरुद्ध प्रारम्भिक न्यायालय में चलाई गई हो, या प्रथम अपील न्यायालय में चलाई गई हो, और ऐसा न्यायालय क्षेत्राधिकार के दोष से इसी प्रकार के अन्य कारण से, उस कार्यवाही को ग्रहण करने में असमर्थ रहा हो।

Scanned with CamScanner

धारा 17 में ऐसे वादी या आवेदक को जो किसी कपट या भूल के कारण से या किसी ऐसे दस्तावेज को छिपाये जाने के कारण से, जिस पर ऐसे वादी या आवेदक का अधिकार आधारित हो, मियाद के अन्दर अपना वाद या आवेदन करने से रोका गया हो, मियाद की कठोरता से संरक्षण प्रदान करती है।

**एस० पेचियामल बनाम गणसुन्दरम्** AIR 1995 Mad. 372 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि यदि कपट के कारण प्रभावित व्यक्ति वाद संस्थित करने से वंचित रह गया हो तो उसे उस अवधि की छूट प्रदान की जायेगी जो कि कपट के कारण प्रक्रिया प्रारम्भ करने में विलम्ब स्वरूप उत्पन्न हुई है।

**धारा 17 की आवश्यक शर्तें** (Essential Condition of Sec. 17):- धारा 17 किसी कपट या भूल के कारण उत्पन्न मियाद की कठोरता से, वादी या आवेदक को, निम्न चार परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान करती है-

1. जहाँ वादी या आवेदक का वाद या आवेदन प्रतिवादी या उत्तरवादी या उसके एजेन्ट के कपट पर आधारित है, या

Scanned with CamScanner

2. जहाँ ऐसे अधिकार स्वत्व की जानकारी जिस पर वाद या आवेदन आधारित है, प्रतिवादी या उत्तरवादी या उसके एजेन्ट के कपट के द्वारा वादी या आवेदक से छिपाई गई है, या

3. जहाँ वह अनुतोष, जो वाद या आवेदन में चाहा गया है, किसी भूलवश ही चाहा गया है, या

4. जहाँ ऐसे किसी दस्तावेज को, जो वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक है, कपटपूर्वक वादी या आवेदक से छिपाया गया है।

उपर्युक्त चारों परिस्थितियों में वाद या आवेदन के लिये निर्धारित मियाद निम्नलिखित समय तक चालू नहीं होगी-

(1) जब तक कि वादी या आवेदक को कथित कपट या भूल का पता नहीं लगा है, वह तर्कसंगत परिश्रम से उसका पता नहीं लगा सका है,

(2) जब तक कि वादी या प्रतिवादी छिपाये गये दस्तावेज को पेश करने, या उसे पेश करने को बाध्य किये जाने का साधन सबसे पहले प्राप्त नहीं कर सका हो।

## निर्णीत वाद (Decided Cases)

**1. एम० किशोर बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, AIR 1990 SC 313 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि धन वापसी के वाद में जो कि भूल से दे दिया गया है धारा 17 (1) (c) इसलिए लागू होगी कि परिसीमा की अवधि की गणना उस समय से प्रारम्भ मानी जायेगी जब से कि उस विशेष विधि की जानकारी होती है जिसके अन्तर्गत रकम दी गई थी तथा जो शून्य करार कर दी गई थी।

**2. सैय्यदशाह गुलाम गौस मोहिद्दीन बनाम सैय्यद शाह अहमद मोहिउद्दीन कामिसुल कादरी**, AIR 1971 SC 2184 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस धारा के अधीन उपचार चाहने वाले व्यक्ति के लिए यह दर्शाना जरूरी है कि कपट के द्वारा, उसे अपने उस अधिकार का, जिस पर उसका वाद या आवेदन पेश करना आधारित है, पता नहीं चलने दिया गया।

**3. पृथ्वी मोहन दास बनाम अलाई**, AIR 1978 Cal. 262 के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि कपट की जानकारी होने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब भी कपट की जानकारी हो तब से मियाद की अवधि की गणना चालू होगी।

**वाद या आवेदन करने के लिये अवधि का बन्धन:-** किसी कपट या भूल पर आधारित वाद या आवेदन को, ऐसे कपट या भूल का पता लगाने की तिथि से, यह जहाँ बलपूर्वक डिक्री या आदेश का निष्पादन को रोका गया हो, वहाँ ऐसे बल प्रयोग के समाप्त हो जाने की तिथि से, एक वर्ष के अन्दर ही दायर कर दिया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner

## अभिस्वीकृति का अर्थ
## (Meaning of acknowledgment)

धारा 18 के अन्तर्गत दायित्व की अभिस्वीकृति का अर्थ है किसी व्यक्ति के निजी दायित्व के सत्य की स्वीकृति। यह अभिव्यक्त (express) या विवक्षित (implied) दोनों में से किसी रूप में हो सकती है। अभिस्वीकृति किसी दस्तावेज का अर्थ करने के लिए लेखन के अर्थ को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो सारे दस्तावेज को पढ़कर और परिस्थितियों का अध्ययन करके निकाला जा सकता है।

**तिलकराम बनाम नाथूराम,** AIR 1967 SC 935 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि पक्षकारों के बीच न्यायिक सम्बन्ध प्रकट करने वाला कथन अभिस्वीकृति का गठन नहीं करते। अभिस्वीकृति के अन्दर आने वाले कथन को यह दिखाना चाहिए कि जिस समय यह निर्मित किया गया था उस समय मौजूद ऐसे न्यायिक सम्बन्ध को ग्रहण करने के आशय से निर्मित किया गया था।

## पर्याप्त अभिस्वीकृति के कुछ उदाहरण
## (Illustrations of Sufficient Acknowledgment)

1. "मुझे इस बात की लज्जा है कि हिसाब इतने समय तक बेचुकता पड़ा रहा।"
2. "जो वचन-पत्र मैंने लिखा है उस पर टिकट नहीं लगे हैं। मैं उसका भुगतान नहीं करूँगा।"
3. "मैं अपने नये ऋणों का भुगतान जब नहीं कर सकता तो मेरे ऊपर पुराने ऋण हैं उसके भुगतान की और भी कम सम्भावना है।"

## अपर्याप्त अभिस्वीकृति के उदाहरण
## (Illustrations of insufficient Acknowledgment)

1. "मैं पुराने हिसाब की ओर 101 रुपया भेज रहा हूँ।" इससे यह जाहिर नहीं होता है कि कोई बाकी रकम भी आगे देय है।

Scanned with CamScanner

2. "मैं आपका हिसाब देखना चाहता हूँ। मैं अपने हिसाब के अनुसार आपको रकम देय नहीं पाता हूँ अतः कृपया हिसाब भेजिये।"

**विधिमान्य अभिस्वीकृति के आवश्यक तत्व** (Essential elements of a valid acknowledgment):- धारा 18 के अन्तर्गत किसी अभिस्वीकृति को विधिमान्य होने के लिये उसमें निम्न बातें होनी चाहिये, जैसा कि **शपूर फ्रेड्डूम** बनाम **दुर्गा प्रसाद चमरिया**, AIR 1961 SC 1236 और कुछ अन्य वादों में प्रतिपादित की गई है-

1. अभिस्वीकृति को वर्तमान दायित्व से ही सम्बन्धित होना चाहिये, और ऐसा दायित्व किसी सम्पत्ति या अभिकार के बारे में हो।
2. भले ही दायित्व का ठीक-ठीक स्वरूप शब्दों में न कहा गया हो, किन्तु जिन शब्दों का प्रयोग किया गया हो, उनसे यह बात अवश्य जाहिर होनी चाहिये कि पक्षकारों के बीच ऋणी और ऋणदाता का सम्बन्ध बना हुआ है और वर्तमान दायित्व को स्वीकार करने के इरादे से ही अभिस्वीकृति की गई है।
3. अभिस्वीकृति लिखित में हो और अभिस्वीकृतिकर्ता, या उसके अधिकार से स्वत्व या दायित्व पाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो और उस पर तारीख डाली गई हो। यदि लेखन पर तारीख नहीं डाली गई है, तो इस बात का मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है कि हस्ताक्षर कब किया गया था।
4. अभिस्वीकृति उस सम्पत्ति या अधिकार के लिये दावा करने के लिये निर्धारित मियाद की अवधि समाप्त होने के पहले ही की गई हो।
5. यह आवश्यक नहीं है कि दायित्व की स्वीकारोक्ति अभिव्यक्त (express) हो, उसका निष्कर्ष (inference) निकाला जा सकता है, यदि उसमें प्रयोग किये गये शब्दों से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता हो।
6. अभिस्वीकृति में प्रयोग किये गये शब्दों का अर्थ करने में जुबानी शहादत (मौखिक साक्ष्य) स्पष्ट रूप से वर्जित है, किन्तु परवर्ती परिस्थितियों (Surrounding circumstances) पर हमेशा विचार किया जा सकता है।
7. अभिस्वीकृति सशर्त भी हो सकती है। धारा 18 में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि उसे बिना शर्त होनी चाहिये। किन्तु सशर्त होने की दशा में सम्बन्धित शर्तों का पूरा किया जाना भी आवश्यक होगा।

**लिखित अभिस्वीकृति का मियाद-काल की गणना पर प्रभाव** (Effect of written acknowledgment on the computation of period of limitation):- धारा 18 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति या अधिकार के बारे में अपने दायित्व को, लिखित में स्वीकार लेता है और वह या उसके अधिकार से जिस व्यक्ति को हक या दायित्व प्राप्त होता है, ऐसा कोई व्यक्ति उस लेखन पर हस्ताक्षर कर देता है, व्यक्ति के विरुद्ध जिसे ऐसे व्यक्ति के अधिकार से कोई हक या दायित्व प्राप्त हुआ है, उस सम्पत्ति या अधिकार का दावा करने के लिये ऐसी अभिस्वीकृति की तारीख से मियाद की अवधि की गणना की जायेगी। अर्थात् अभिस्वीकृति की तारीख से नयी मियाद प्राप्त होगी। जो मियाद बीत चुकी है वह बेईमानी हो जायेगी।

**वैध संरक्षक की स्वीकृति का प्रभाव** (Effect of acknowledgment of lawful guardian):- इस प्रकार की अभिस्वीकृति का प्रभाव निम्नलिखित होगा-

1. यदि किसी निर्योग्य व्यक्ति या अवयस्क की ओर से संरक्षक या प्रबन्ध समिति के द्वारा या ऐसे संरक्षक या समिति के द्वारा प्राधिकृत के द्वारा कोई

अभिस्वीकृति, किसी सम्पत्ति या अधिकार के सम्बन्ध में निर्योग्य व्यक्ति के विरुद्ध वादी के पक्ष में हस्ताक्षरित की गई है तो ऐसी अभिस्वीकृति के सम्बन्ध में समझा जायेगा कि वह ऐसे निर्योग्य व्यक्ति के द्वारा इस निमित्त समुचित रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित की गई है।

2. यदि किसी ऋण या वसीयती दान पर ब्याज की कोई देनगी (Payment) किसी अवयस्क या निर्योग्य व्यक्ति की ओर से उसके संरक्षक या समिति द्वारा या ऐसे संरक्षक या समिति के द्वारा समुचित रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता के द्वारा की गई है तो यही समझा जायेगा कि ऐसी देनगी निर्योग्य या अवयस्क व्यक्ति के द्वारा इस निमित्त समुचित रूप से प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा की गई है।

**यदि अभिस्वीकृति बिना तारीख की है** (If acknowledgment is undated):- यदि अभिस्वीकृति का लेखन हस्ताक्षरित तो है, किन्तु उस पर कोई तारीख नहीं डाली गई है, तो धारा 18 की उपधारा (2) के अनुसार, इस बात का मौखिक साक्ष्य (Oral evidence) दिया जा सकता है कि उस लेखन पर ऐसा हस्ताक्षर कब किया गया था, परन्तु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है कि उस लेखन में क्या लिखा गया था, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है।

Scanned with CamScanner